दिनांक 07.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एस0टी0एफ0–कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग कर Online Gaming/Lottery scam करने वाले संगठित गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य कानपुर नगर से गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 06–10–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग कर https://playbhagyalaxmi.net.in/ वेबसाइट के माध्यम से Online Gaming/Lottery scam करने वाले संगठित गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>:–

1– रजत केशरी पुत्र स्व0 संतोष केषरी निवासी 126/627 डी ब्लाक किदवई नगर थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर मूलपता डी 65/95,1 लहरतारा थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी शिक्षा–इंटरमीडिएट, उम्र 25 वर्ष।

2– किशन केशरी पुत्र स्व0 संतोष केशरी निवासी 126/627 डी ब्लाक किदवई नगर थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर मूलपता डी 65/95ए1 लहरतारा थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी शिक्षा–इंटरमीडिएट, उम्र 23 वर्ष।

<u>बरामदगी–</u>

1– 05 अदद मोबाइल फोन। (सिम कार्ड सहित)

2– 03 अदद लैपटाप।

3– 03 अदद एटीएम कार्ड।

4– 02 अदद पैन कार्ड।

5– 03 अदद आधार कार्ड। (एक कूटरचित)

6– Online Gaming/Lottery scam करने से सम्बन्धित स्क्रीनषाट कुल 31 वर्क।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–</u> स्थानः किदवई पार्क के पास थाना क्षेत्र किदवई नगर कानपुर नगर, दिनांकः 06–10–2025 समयः 23:53 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि Online Gaming/Lottery scam करने संगठित गिरोहों द्वारा आनलाइन लाटरी/गेमिंग की वेबसाइट बनाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि जनपद कानपुर नगर के थाना किदवई नगर क्षेत्रान्तर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा https://playbhagyalaxmi.net.in/ बनाकर आनलाइन गेमिंग/लाटरी वेबसाइट उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से संचालित की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 06–10–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा संगठित गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को थाना क्षेत्र किदवई नगर कानपुर नगर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछतांछ में बताया कि हम दोनो सगे भाई हैं। कुछ वर्ष पूर्व कानपुर में नौकरी करने के बाद वर्ष–2022 में अपने मौसा महेन्द्र केशरी के पास पूना महाराष्ट्र चले गये। हम लोगों द्वारा राजनीष कुमार दूबे निदेशक वेबट्रान टेक्नालॉजी प्रा0लि0 के माध्यम से https://playbhagyalaxmi.net.in/ वेबसाइट बनवायी गयी। इसी वेबसाइट के माध्यम से हम लोग आनलाइन गेमिंग/लाटरी का काम करने लगे। हम लोग अलग अलग जगहो पर काउंटर चलवाते हैं। जहां पर जीतने पर दस गुना धन देने का लालच दिया जाता है। वही पर कस्टमर आकर या व्हाटसएप के माध्यम से 0 से 9 नम्बर तक के टिकट बुक करते हैं। फिर काउंटर चलाने वाले उसको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं। जिसके बाद हम लोगों द्वारा thefun.co.in पर यह डेटा फीड कर दिया जाता है। इसके 20 मिनट बाद जिस नम्बर का टिकट सबसे कम खरीदा गया होता है साफ्टवेयर के माध्यम से https://playbhagyalaxmi.net.in/ वेबसाइट पर वही नम्बर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है। हम लोगों द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर सिमकार्ड खरीदा जाता है। जिनका प्रयोग व्हाट्सएप एकाउंट बनाने के लिए किया जाता है। इन्ही व्हाट्सएप एकाउंट का प्रयोग कर ग्रुप बनाये जाते है जिसके माध्यम से आनलाइन गेमिंग/लाटरी का अवैध काम आसानी से करते हुए अवैध तरीके से धनार्जन किया जाता है। महेन्द्र केषरी के कहने पर ही कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर कई फर्मे बनायी हैं। इन्ही फर्मो के नाम से बैंक खाते खोले गये हैं जिनमें इस ठगी से आने वाले रूपयों का लेनदेन किया जाता है। यह काम उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज, कानपुर आदि शहरों के अलावा अन्य प्रदेशों में भी संचालित किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गिरोह को मुख्य रूप से महेन्द्र केशरी, संदीप कटारिया, शिवम केशरी, सत्यम केशरी पूने, संदीप पाठक प्रयागराज द्वारा पिछले कई वर्षों में संचालित किया जा रहा है। इस गिरोह द्वारा राज्य सरकार को करोड़ों रूपयों की राजस्व क्षति पहुचायी गयी है। अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरोह के विरूद्ध थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर में मु0अ0सं0 229/2025 धारा– 3(5), 61(2), 318, 319, 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.10.2025 को थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेतवा अपार्टमेन्ट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभय प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चिनहट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभय प्रताप निवासी ग्राम चंदौर थाना कुडवार जनपद सुल्तानपुर, हालपता इ–104 बेतवा अपार्टमेन्ट थाना गोमतीनगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना कमला नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 92 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 02 पीली धातु (71.25 ग्राम) के टुकड़े**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06/07.10.2025 को थाना कमलानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा फोर्ट दो पहिया पार्किग के पास से

अभियुक्त 1–फरीद उर्फ सोहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर अभियुक्त 2–अल्फाज 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 92 हजार रूपये नगद, चोरी के 02 पीली धातु (71.25 ग्राम) के टुकड़े, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.09.2025 को थाना कमलानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कमलानगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, पीली धातु के टुकड़े आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कमलानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फरीद उर्फ सोहिल निवासी नई बस्ती आजाद नगर गोल चौराहा इंदौर म0प्र0।

2–अल्फाज निवासी ग्राम मदनपुर खादर थाना सरिता बिहार दिल्ली।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 92 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के 02 पीली धातु (71.25 ग्राम) के टुकड़े।

3–03 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद एटा/थाना जैथरा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर**
- **01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 06.10.2025 को थाना जैथरा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम परौली के जंगलों से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे

02 अभियुक्तों 1—दीपक कुमार 2—राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जैथरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी ग्राम परौली सुहागपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

2—राजेश निवासी ग्राम परौली सुहागपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1—07 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर।

2—01 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बहराइच/थाना खैरीघाट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 6.10.2025 को थाना खैरीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाबूपुरवा से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—बुद्धिसागर 2—अरमान अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त बुद्धिसागर के विरूद्ध जनपद बहराइच के थाना खैरीघाट पर आर्म्स एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खैरीघाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बुद्धिसागर निवासी बाबूपुरवा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच।

2–अरमान अली निवासी दलजीतपुरवा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद गाजीपुर/थाना गहमर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 01 लाख 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना गहमर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/363 भादवि व 5एम/5जे(4)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजय नट को मृत्युदण्ड व 01 लाख 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना कासना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 34–34 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना कासना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/302/149/307/326/324 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जसमाल 2–राजकुमार 3–निशान्त उर्फ नीशू 4–मोंटी 5–निरोज को आजीवन कारावास व 34–34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना निधौली कला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–विजय कुमार को धारा 376डी,ए भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–रवि को धारा 376डी,ए/363/366/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अरविन्द कुमार 2–ओमकार को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना कोसीकलां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लखन को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना जफराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना जफराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बखेडू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————